(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–35 / 2025 निर्णय दिनांक :–23.03.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. बैजनाथ पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मु.बरदी पत्नि बालू जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. महावीर पुत्र बालू जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक(राज.)
4. रामकन्या पुत्री बालू जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. शंकर पुत्र बालू जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक(राज.)
6. कजोड़ पुत्र किशना जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. कमलेश पुत्र किशना जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. मथरा पत्नि किशना जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. दामोदर प्रसाद पुत्र प्रभूदास जाति बैरागी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बंथली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री नरेन्द्र मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री महावीर सिंह राठौड़
अधिवक्ता अप्राथी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2
तहसीलदार, देवली

धारा अन्तर्गत 251(ए) आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की कब्जे–काश्त की आराजी भूमि खाता नम्बर 260 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.35 है0 व प्रार्थीगण सं0 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता सं0 22 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण सं0 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि में काश्त करने के लिए खसरा न0 261 रकबा 0.48 है0 गै0मु0 रास्ता मे से खसरा न0 302 रकबा 0.84 है0 भूमि के पूर्व दिशा में होते हुए आते जाते

Ruby

है और उक्त रास्ते का ही वर्षो से उपयोग कर अपनी खातेदारी की भूमि खाता सं0 260 खसरा न0 300 रकबा 0.33 है0, खसरा न0 301 रकबा 0.35 है0 व खाता सं0 22 खसरा न. 299 रकबा 0.93 है0 मे हकाई, जुताई, बुआई करते आ रहे है। खसरा नं0 302 में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण सं0 1 ता 8 की खातेदारी की भूमि प्रार्थना पत्र चरण नं0 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने एवं हकाई, बुआई, जुताई आदि कार्य के लिए उपयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ता खसरा न0 302 में से है जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही है एवं उक्त भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं0 1 ने प्रार्थीगण की भूमि मे जाने वाले कदीमी रास्ते में तारबन्दी कर मुख्य रास्ते पर डोल डालकर अवरूद्ध कर दिया और प्रार्थीगण को मौके पर आने जाने में मजामत करता है और खेतो में हकाई बुआई से मना कर दिया है। खाता नम्बर 260 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.35 है0 व प्रार्थीगण सं0 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता सं0 22 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.93 है0 खेत में जाने का हकाई, जुताई, बुआई करने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा न0 302 के पूर्व दिशा की ओर से आते जाते है एवं उपयोग करते है। प्रार्थीगण को खसरा न0 302 में पूर्व दिशा की ओर 12 फिट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है।

प्रार्थीगण सं0 1 ता 8 को अपनी आराजी भूमि में जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता नही मांग रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं0 1 को रास्ते के उपयोग में आने जाने वाली भूमि की डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जमा कराने को तत्पर है। अप्रार्थीगण सं0 3 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया है एवं अप्राथीगण सं0 2 के नाम भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण सं0 1 ता 8 को प्रार्थना पत्र के चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.84 है0 भूमि में से पूर्व दिशा की ओर 12 फीट रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करे एवं रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते का आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की ख0नं0 302 में लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात कुल 368 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 549000/–रूपये प्रति0 है0 है जिसकी एक गुना राशि 20204 रूपये एंव दुगुनी प्रतिकर राशि 40408 रूपये है। प्रस्तावित रास्ता आबादी से लगभग 02 किलोमीटर दूर एवं एनएच 52 से 06 किलोमीटर दूर है एवं सिंचित है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ख0नं0 302 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड दिवार इत्यादि नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते से जुडा हुआ है। अप्रार्थी ख0नं0 302 में से उत्तर दिशा में से रास्ता देने हेतु सहमत है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नही देकर सीधे बहस हेतु प्रार्थना की। पत्रावली बहस में नियत की गई।

Ruby

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी न0 1 ने अपनी बहस में खसरा न0 302 में उत्तर दिशा से रास्ता देने हेतु सहमत है। दक्षिण दिशा से रास्ता देने हेतु सहमत नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में **प्रार्थीगण की आराजी खाता नम्बर 260 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.35 है0 व प्रार्थीगण सं0 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता सं0 22 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.93 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।**

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय कमांकः राजस्व / 2024 / 1062 दिनांक 25.11.25 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजीयात **खाता नम्बर 260 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.35 है0 व प्रार्थीगण सं0 6 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता सं0 22 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.93 है0 वाके तनग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग ख. नं. 302 रकबा 0.84 है0 में से चौड़ाई 4 मीटर तथा लम्बाई 92 मीटर कुल क्षेत्रफल 368 वर्गमीटर के लिये वर्तमान डीएलसी दर 549000/-रूपये प्रति0 है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 40408 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार संदाय करे। प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय सरे इजलास दिनांक 23.03.2026 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)